सेशन प्रकरण संख्याः– 41/2017
राज्य बनाम रणवीरसिंह
दिनांकः– 09.07.2026

न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण, बालोतरा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा
(अतिरिक्त प्रभार)

पीठासीन अधिकारी	एम.आर. सुथार
नियमित फौजदारी सी.आई.एस. नंबर	119/2017
नंबरी फौजदारी प्रकरण	सेशन प्रकरण संख्याः– 41/2017
सी.एन.आर. नंबर	RJBA010009302017
एफ.आई.आर. संख्या व पुलिस थाना	56/05.02.2016 पुलिस थाना, बालोतरा

राजस्थान राज्य बनाम रणवीरसिंह

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भादसं व 3(1)(r)(s) एससी/एसटी एक्ट

परिवादी का नाम	कुंपाराम
अधिवक्ता परिवादी/लोक अभियोजक	श्री माधोसिंह चारण, विशिष्ठ लोक अभियोजक राज्य की ओर से
अभियुक्त का नाम व विवरण	रणवीरसिंह पुत्र गणपतसिंह, उम्र 46 साल, निवासी असाड़ा, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री लाधूराम चौधरी
एफआईआर की दिनांक	05.02.2016
चालान पेश करने की दिनांक	22.12.2017
आरोप लगाने की दिनांक	08.09.2022
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	19.01.2023 से 02.05.2026
बचाव साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	14.05.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया हो	09.07.2026
निर्णय दिनांक	09.07.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो तो	

<u>अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष के साक्षीगण

क्रमांक	नाम	साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
पी.ड. 01	डॉ. मदनलाल खारवाल	चिकित्सकीय साक्षी

पी.ड. 02	कुंभाराम	परिवादी
पी.ड. 03	चुतराराम	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 04	धन्नाराम	बीच–बचाव साक्षी
पी.ड. 05	सवाराम	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 06	सुरेश कुमार	स्वतंत्र गवाह
पी.ड. 07	प्रतापराम	स्वतंत्र गवाह
पी.ड. 08	मेहबूब खाँ	स्वतंत्र गवाह
पी.ड. 09	गौरव	कायमी मुकदमा
पी.ड. 10	राजेश कुमार माथुर	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 11	गडूकाराम	स्वतंत्र गवाह
पी.ड. 12	हुकमाराम	स्वतंत्र गवाह

ब. बचाव पक्ष के साक्षीगण

क्रमांक	नाम	साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
–	–	–

<u>अभियोजन व बचाव पक्ष के दस्तावेती साक्ष्य की सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष के दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी. 01	चोट प्रतिवेदन मजरूब कुंपाराम
2.	प्रदर्श पी. 02	एक्सरे रिपोर्ट मजरूब कुंपाराम
3.	प्रदर्श पी. 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट
4.	प्रदर्श पी. 04	नक्शा मौका व हालात मौका
5.	प्रदर्श पी. 05	पुलिस बयान गवाह सुरेश कुमार
6.	प्रदर्श पी. 06	पुलिस बयान गवाह प्रतापराम
7.	प्रदर्श पी. 06 (1)	पुलिस बयान गवाह मेहबूब खाँ
8.	प्रदर्श पी. 06 (2)	चाक एफआईआर
9.	प्रदर्श पी. 07	पुलिस बयान गवाह गडूकाराम
10.	प्रदर्श पी. 08	पुलिस बयान गवाह हुकमाराम

सेशन प्रकरण संख्याः– 41/2017
राज्य बनाम रणवीरसिंह
दिनांकः– 09.07.2026

ब. बचाव पक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श डी. 01	पुलिस बयान गवाह कुंपाराम

निर्णय

दिनांकः– 09.07.2026

1. थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा की ओर से अभियुक्त रणवीरसिंह के विरुद्ध धारा 341, 323, 325 भादंसं व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट के अपराध का आरोप–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।

2. अभियोजन कहानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी कुंपाराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना, बालोतरा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि वह दिनांक 04.02.2016 को सुबह 10:30 बजे राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावताणियों की ढाणी असाड़ा के पास में सुरेश कुमार की पत्थर की खान में ट्रेक्टर लेकर पत्थर लेने गया हुआ था, तभी वहाँ पर रणवीरसिंह आया और उसको जातिगत शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि तुमने मेरी खान में लोहे के सरिये क्यों डाले, तो उसने कहा कि उसने सुरेश की खान में ही पत्थर तोड़ने हेतु सरिये डाले हैं, तब रणवीरसिंह ने उसे कहा कि तेरी औकात मेरे सामने बात करने की नहीं है । ऐसा कहकर उसे जातिगत शब्दों से अपमानित करते हुए उसके उपर लोहे के तारों से बंधी हुई लाठी से उसके सिर, कनपटी, हाथ, पैर और पीठ पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार करने लगा । उसके रड़े करने की आवाज सुनकर तेजाराम ने बीच–बचाव कर उसे छुड़ाने का प्रयास किया तो उसे भी धक्का मारकर गिरा दिया । पास में खड़े धन्नाराम, प्रताप व हुकमाराम ने बीच–बचाव करने की कोशिश की तो रणवीरसिंह ने उनके उपर भी लाठियों से हमला बोल दिया । आस–पड़ौस के लोगों ने बीच–बचाव किया, तब रणवीरसिंह एलानिया धमकियाँ देकर गया कि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा । वार के दौरान उसके बाएं पैर का टखना फ्रेक्चर हो गया तथा उसके पीठ, दोनों हाथ, कनपटी व सिर पर चोटे आई...........इत्यादि ।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना, बालोतरा में प्रकरण संख्या 56/2016 अंतर्गत धारा 341, 323 भादंसं व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट में पंजीबद्ध किया गया तथा बाद

आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त रणवीरसिंह के विरुद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भादंसं व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त रणवीरसिंह को धारा 341, 323, 325 भादंसं व 3(1)(r)(S) एससी/एसटी एक्ट के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने उक्त आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही ।

5. अभियुक्त का परीक्षण दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना, स्वयं द्वारा कोई अपराध कारित नहीं करना और झूठा फंसाया जाने का कथन किया । साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई ।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान् सुनी गई । दौराने बहस विशिष्ठ लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा परिवादी कुंपाराम का सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ साधारण व गंभीर मारपीट करने तथा जातिसुचक गालियाँ देकर अपमानित करने का अपराध संदेह से परे साबित है । अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया ।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य हो, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है । अभियोजन द्वारा परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है । परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा उसे जातिगत शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट करना बताया गया है, परंतु अभियुक्त द्वारा क्या जातिगत शब्द बोले गये, इस संबंध में कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया है । परिवादी ने बाद में उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 में कीड़ा, नीच व कमीण की गालियाँ व न्यायालय में हुए बयानों में नीच, कमीण, ढेढ़ की गालियाँ देना कथन किया है, जो परिवादी द्वारा उसके बयानों में की गई अभिवृद्धि है ।

8. यह अभी तर्क दिया कि परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में धन्नाराम, प्रतापराम व हुकमाराम द्वारा बीच–बचाव की कोशिश करना बताया है, परंतु धन्नाराम के कथनों से उसका

घटनास्थल पर मौजूद होना साबित नहीं है तथा हुकमाराम व प्रतापराम पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने घटना की ताईद नहीं की है । अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहों में पी.ड. 06 सुरेश कुमार, पी.ड. 08 मेहबूब खाँ व पी.ड. 11 गड्डूकाराम भी पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है ।

9. यह भी तर्क दिया है कि एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 में परिवादी के बाएं घुटने की चोट का गंभीर होना बताया गया है, परंतु जिस एक्सरे प्लेट के आधार पर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 जारी करना बताया गया है, उस एक्सरे प्लेट को भी अभियोजन की ओर से पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है ।

10. यह भी तर्क दिया है कि गवाह पी.ड. 01 डॉ. मदनलाल खारवाल रेडियोलॉजिस्ट नहीं है एवं रेडियोलॉजिस्ट ही अस्थिभंग के बारे में राय दे सकता है, परंतु रेडियोलॉजिस्ट की कोई राय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 325 भादंसं का अपराध साबित नहीं है । अंत में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

11. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गईः–

I. Samghaji Hariba Patil Vs State of Karnataka : 2006(7) Supreme 766.

II. Naresh Mandal & Ors. Vs State of Bihar : 2013 0 Supreme (Pat) 446.

III. Banshi Lal & Ors. Vs State of Rajasthan : S.B. Criminal Appeal No. 197 of 1995.

12. प्रकरण के निस्तारण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है:–

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.02.2016 को 10:30 एएम के लगभग सरहद मौजा असाड़ा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावताणियों की ढाणी के पास परिवादी

कुंपाराम का रास्ता रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ स्वैच्छया लाठी से मारपीट कर साधारण व गंभीर उपहतियाँ कारित की तथा परिवादी कुंपाराम को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए लोक दृष्टिगोचर स्थान पर उसे नीच, कमीण व कीड़ा की गालियाँ देकर अपमानित किया ?

यदि हाँ, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या होगा ?

13. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित करवाये जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 12 गवाहों को पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 08 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं ।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहों में मुख्य गवाह पी.ड. 02 कुंभाराम फरियादी एवं आहत है, जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2016 में सुबह 10:30 बजे वह घर से खान ट्रेक्टर भरने गया था । साढ़े दस बजे रणवीरसिंह ने उससे झगड़ा किया । उसके घुटने पर लकड़ी से मारी । उसने सिर व हाथों पर भी चोट मारी । मारपीट से उसके डावे घुटने पर फ्रेक्चर हुआ था । मेहबूब खान, प्रताप भील व हुकमाराम ने बीच–बचाव कर उसे छुड़ाया । उसके शरीर पर चोट आने से उसे नाहटा अस्पताल बालोतरा में उसके परिवारजन ने भर्ती करवाया । घटना के कारण फ्रेक्चर होने से वह करीब 12 माह तक घर पर ही सोता रहा । उसे नीच, कमीण, ढेढ़ की गालियाँ बोली । उसके साथ मारपीट हुई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना, बालोतरा में दी थी, जो प्रदर्श पी. 03 है, जिस पर तीन जगह उसका अंगुष्ठ निशान है । उसकी डॉक्टरी करवाई थी । उसने अनुसंधान में जाति प्रमाण–पत्र दिया था ।

जिरह में इस कथन को गलत बताया है कि वह अपने आप नीचे गिरा हो, जिससे चोटें आई हो । प्रदर्श पी. 03 रिपोर्ट भूराराम वकील साहब ने लिखी थी । भूरारामजी ने रिपोर्ट उनके हाथ से लिखी थी । इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी. 03 व प्रदर्श डी. 01 में जातिगत शब्दों से गालियाँ निकालकर अपमानित करने की बात लिखी हुई नहीं है । इस कथन को सही बताया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 में क्या लिखा है, उसे पता नहीं है, अजखुद कहा कि वह अंगूठा छाप है । इस कथन को सही बताया कि पुलिस ने उसके बयान प्रदर्श डी. 01 लिये तब वह बेहोशी की हालत में था । पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 उसे पढ़कर नहीं

सुनाए । घटना के 12 महीने तक वह बेहोश था और बयान कब लिये उसे पता नहीं । इस कथन को सही बताया कि उसके व रणवीरसिंह के पहले से नहीं बनती थी । वह अस्पताल में करीब एक माह तक भर्ती रहा था । इस बात को सही बताया कि वह एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा, तब तक थाने में नहीं गया था । अस्पताल से छुट्टी होने के बाद में थाने गया था । इस कथन को गलत बताया कि उसके खान में नीचे गिरने से चोटें आई हो ।

15. इस गवाह ने उसके मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसके साथ लकड़ी से घुटने, सिर व हाथों पर चोट मारने, जिससे बाएं घुटने का अस्थिभंग होना बताया है । घटना के समय प्रताप व हुकमाराम द्वारा बीच–बचाव करना एवं उस समय आहत के साथ उसका दादी ससुर भी होना बताया है । गवाह द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 पुलिस थाना, बालोतरा में पेश करना बताया है । गवाह ने जिरह में रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 भूराराम वकील साहब द्वारा हाथ से लिखना बताया है, परंतु अभियोजन की ओर से पत्रावली पर ऐसी कोई हस्तलिखित रिपोर्ट पेश नहीं हुई है अपितु रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 कंप्यूटर पर टाईप की हुई है । इस गवाह ने जिरह में रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 व पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 में जातिगत गालियाँ निकालकर अपमानित नहीं करने की बात स्वीकार की है परंतु पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उसमें कीड़ा, नीच व कमीण की जातिगत गालियाँ दी जाने का उल्लेख है । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 में फरियादी/आहत को अपमानित करने हेतु क्या जातिगत शब्द बोले गये इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 घटना के तुरंत बाद पेश की गई है उसमें क्या जातिगत शब्द बोलकर अपमानित किया ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है । केवल जातिगत शब्दों से अपमानित करना लिखा है । गवाह के पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 में कीड़ा, नीच व कमीण की जातिगत गालियाँ देना बताया है, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है । गवाह ने न्यायालय में हुए बयानों में उसे नीच, कमीण व ढेढ़ की गालियाँ बोलना बताया है, परंतु उसे ढेढ़, नीच व कमीण की गालियाँ देने बाबत् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 में एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 में ढेढ़ शब्द कहकर जातिगत गाली देने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 व न्यायालय में हुए बयानों में अभिवृद्धि करते हुए नीच, कमीण, ढेढ़ व कीड़ा आदि शब्द अभियुक्त के द्वारा कहना बताया है । इस गवाह की जिरह के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गवाह ने उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी. 01 लिये,

तब वह बेहोशी की हालत में था तथा घटना के 12 महीने तक वह बेहोश था । उसके बयान कब लिये, उसे पता नहीं । गवाह ने घटना के समय प्रताप व हुकमाराम द्वारा बीच–बचाव करना बताया है ।

16. अभियोजन की ओर से गवाह प्रतापराम को पी.ड. 07 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जो पक्षद्रोही हुआ है जिसका कथन है कि बयान देने से करीबन दस साल पहले असाड़ा गाँव में वह खान में कार्य करता था । वह हस्ताराम की खान में कार्य करता था । वह खाना खाने गया हुआ था, उसके बाद वहाँ क्या घटना घटित हुई, उसे उसकी कोई जानकारी नहीं है । पुलिस वालों को भी उसने यही बात बताई थी, फिर भी उन्होंने उसका नाम क्यों लिखा उसे पता नहीं । विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है कि अभियुक्त ने कुंपाराम के साथ में मारपीट की हो तथा उसे ढेढ़, नीच, कमीण आदि जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया हो । उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी. 06 देने से इंकार किया है ।

17. घटना का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड. 12 हुकमाराम भी पक्षद्रोही हुआ है जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता । रणवीरसिंह ने किसी के साथ में झगड़ा किया हो, तो उसे पता नहीं और न ही उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही की थी । इस गवाह ने भी विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में उसके पुलिस बयान नहीं होना तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी. 08 पुलिस को देने से इंकार किया है । गवाह ने इस कथन से स्पष्ट इंकार किया है कि उसके सामने रणवीरसिंह ने कुंपाराम को ढेढ़, नीच, कमीण आदि की गालियाँ निकाली हो । उसने कुंपाराम को खान से आते वक्त रणवीरसिंह द्वारा मारपीट करते हुए नहीं देखा था ।

18. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 में बताई घटना के चश्मदीद गवाह पी.ड. 07 प्रतापराम व पी.ड. 12 हुकमाराम ने परिवादी/आहत पी.ड. 02 कुंभाराम के कथनों का समर्थन करते हुए घटना की ताईद नहीं की है ।

19. गवाह पी.ड. 04 धन्नाराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन सात–आठ साल पहले उसके छोटे भाई कूंपाराम के साथ मारपीट हुई थी । सुबह के दस बजे भाखर में उसके भाई के साथ रणवीरसिंह मारपीट कर रहा था । वह, तेजाराम, हुकमाराम व

प्रतापराम छुड़ाने गये थे । रणवीरसिंह ने जैसी जची वैसी गालियाँ बोली । उन्होंने देखा तब वह मारपीट कर रहा था तथा घुटना फ्रेक्चर कर दिया था ।

जिरह में यह स्वीकार किया है कि रणवीरसिंह ने क्या गालियाँ निकाली थी यह उसे पता नहीं । रणवीरसिंह ने किस औजार से मारपीट की थी, उसे पता नहीं । उसने तो केवल रड़े सुनी थी और रड़े सुनने के 5–10 मिनट बाद वह मौके पर पहुँचा था । इस कथन को सही बताया कि प्रतापराम व हुकमाराम की रणवीरसिंह से नहीं बनती है ।

20. इस गवाह ने मुख्य परीक्षण में सुबह 10 बजे उसके भाई के साथ रणवीरसिंह द्वारा मारपीट किये जाने पर उसके, तेजाराम, हुकमाराम व प्रतापराम द्वारा छुड़ाने जाना बताया है, परंतु परिवादी/आहत पी.ड. 02 कुंभाराम ने उसके बयानों में गवाह पी.ड. 04 धन्नाराम या तेजाराम द्वारा बीच–बचाव करने बाबत् कोई कथन नहीं किये हैं । इस गवाह की जिरह के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि गवाह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था एवं 5–10 मिनट बाद मौके पर पहुंचा था । इस गवाह ने भी रणवीरसिंह ने क्या गालियाँ निकाली एवं किस औजार से मारपीट की उसे पता नहीं होने का कथन किया है । इस गवाह के कथनों से भी अभियुक्त द्वारा परिवादी/आहत पी.ड. 02 कुंभाराम को जातिगत गालियाँ देना एवं क्या गालियाँ दी गई यह तथ्य साबित नहीं होता है ।

21. गवाह पी.ड. 03 चुतराराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2016 में कुंभाराम के साथ रणवीरसिंह ने मारपीट की थी । पुलिस आई थी और मौका देखा था, जो नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 04 है, जिस पर उसका अंगुष्ठ निशान है । गवाह ने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में कथन किया कि घटना के दूसरे दिन मौका देखा था । उसे पता नहीं कि मौका किसने बताया था । वह पढ़ालिखा नहीं है । इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 04 में पुलिस ने क्या लिखापढ़ी की उसे पता नहीं ।

22. गवाह पी.ड. 05 सवाराम ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन आठ–नौ साल पहले की बात है । वह हनुमानजी के मंदिर के पास चौराहे पर खड़ा था । पुलिस ने उसके सामने मौका देखा था । फर्द नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । मौका देखा तब बहुत सारे लोग खड़े थे, जिनके नाम

उसे याद नहीं, जिनमें से एक चुतराराम था । जिरह में कथन किया कि मौका पुलिस ने हनुमान जी के मंदिर के पास देखा था, जो असाड़ा रोड़ पर आया हुआ है । उसके सामने पुलिस ने खानों में कोई मौका नहीं देखा था । पुलिस ने उसे नक्शा मौका व हालात मौका फर्द प्रदर्श पी. 04 पढ़कर के नहीं सुनाई थी । पुलिस ने उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे । इस प्रकार इस गवाह ने भी यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने खानों में कोई मौका नहीं देखा था और उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे ।

23. गवाह पी.ड. 06 सुरेश कुमार पक्षद्रोही हुआ है जिसने कथन किया है कि वह असाड़ा गाँव में रहता है । वह ट्रेक्टर चलाता है । बयान देने से दस साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसे पता नहीं । उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है ।

विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में उसके पुलिस में बयान नहीं होना तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी. 05 देने से इंकार किया है । इस तथ्य को गलत बताया कि रणवीरसिंह ने उसके सामने कुंपाराम को जातिसूचक अपशब्दों से अपमानित किया हो तथा उसके साथ मारपीट की हो । इस प्रकार इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है ।

24. गवाह पी.ड. 07 गडूकाराम पक्षद्रोही हुआ है जिसका कथन है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है । रणवीरसिंह ने किसी के साथ में झगड़ा किया हो तो उसे पता नहीं ।

विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह उसके पुलिस में बयान नहीं होना एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी. 07 देने से इंकार किया है । इस तथ्य को गलत बताया कि रणवीरसिंह ने कुंपाराम के साथ में झगड़ा किया हो । इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है ।

25. गवाह पी.ड. 08 मेहबूब खाँ भी पक्षद्रोही हुआ है जिसने कथन किया है कि बयान देने से दस साल पहले उसने रणवीरसिंह एवं कुंपाराम को आपस में झगड़ते हुए नहीं देखा था । उसकी खान रणवीरसिंह की खान के पास आई हुई है । दिनांक 04.02.2016 को वह उसकी खान पर नहीं था, बल्कि अपने घर पर था । उसने न तो कोई लड़ाई–झगड़ा देखा था और न ही लड़ाई–झगड़े के बारे में सुना था ।

विशिष्ठ लोक अभियोजक की जिरह में पुलिस में बयान नहीं होना तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी. 06 देने से इंकार किया है । इस प्रकार इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है ।

26. गवाह पी.ड. 01 डॉ. मदनलाल खारवाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.02.2016 को वह राजकीय नाहटा अस्पताल, बालोतरा में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत था । उस रोज पीएस बालोतरा की तहरीर पर मजरूब कूंपाराम के शरीर पर आई चोटों की जाँच कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 01 जारी किया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मजरूब का पहचान चिह्न व ई से एफ चोटों का विवरण अंकित है । मजरूब के परीक्षण पर चोट संख्या 01 मजरूब के बाएं घुटने में सूजन एवं दर्द होना जाहिर कर रहा था एवं चोट संख्या 02 दाहिनी कोहनी पर सूजन होकर दर्द होना जाहिर किया । सभी चोटें भौंटे हथियार से कारित थी । चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की पाई गई तथा चोट संख्या 1 के लिए एक्सरे की राय दी गई । बाद एक्सरे रिपोर्ट चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की पाई गई । एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है । चोटों की अवधि परीक्षण के समय से 1 से 3 दिन के भीतर की थी । जिरह में इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी. 01 में अंकित चोटें गिरने से आना संभव है तथा इस कथन को भी सही बताया कि उक्त चोटें स्वकारित भी हो सकती हैं ।

27. इस गवाह ने मजरूब पी.ड. 02 कुंपाराम के दो चोटे जिनमें से एक चोट बाएं घुटने पर और दूसरी दाहिनी कोहनी पर जिनमें से चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की एवं चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की होना, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 होना बताया है । इस गवाह ने आहत कुंपाराम के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 01 की चोट संख्या 01 को गंभीर प्रकृति की होना एक्सरे प्लेट/फिल्म नंबर 830/05.02.2016 के आधार पर बताया है, परंतु अभियोजन की ओर से ऐसी कोई एक्सरे प्लेट/फिल्म पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई है, जिसके आधार पर आहत कुंपाराम के शरीर पर आई चोट संख्या 01 को गंभीर प्रकृति की होना बताया गया है । अभियोजन की ओर से रेडियोलॉजिस्ट जिसके द्वारा आहत का एक्सरे लिया गया था, उसे भी गवाह के रूप में परीक्षित करवाकर एक्सरे प्लेट/फिल्म नंबर 830/05.02.2016 लेना साबित नहीं किया है । अस्थिभंग होकर चोट गंभीर होना साबित किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि अभियोजन रेडियोलॉजिस्ट को परीक्षित करवाकर

इस तथ्य को साबित करवाये कि आहत के शरीर में अस्थिभंग होकर कोई चोट गंभीर थी, परंतु हस्तगत मामले में गवाह पी.ड. 01 डॉ. मदनलाल खारवाल न तो रेडियोलॉजिस्ट है, जिसके द्वारा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 जारी गई है, न ही रेडियोलॉजिस्ट जिसके द्वारा आहत का एक्सरे लिया गया था, उसे पेश किया गया है । इसके अलावा जिस एक्सरे प्लेट/फिल्म नंबर 830/05.02.2016 के आधार पर गंभीर चोट होना बताया गया है, वह एक्सरे प्लेट/फिल्म भी पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है ऐसी परिस्थिति में आहत के शरीर पर पाई गई चोट गंभीर प्रकृति की होना साबित नहीं है तथा चोट संख्या 02 दर्द की शिकायत होकर सूजन होना बताया गया है ।

28. गवाह पी.ड. 09 गौरव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.02.2016 को वह पुलिस थाना, बालोतरा में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था । उस रोज कूंपाराम ने एक टाईपसुदा रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर प्रकरण संख्या 56/2016 अंतर्गत धारा 341, 323 भादंसं व 3(i)(x) एएसी/एसटी एक्ट में दर्ज किया गया । मूल एफआईआर प्रदर्श पी. 03 है, जिस पर ए से बी, सी से डी पुलिस पृष्ठांकन, ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर कूंपाराम का अंगुष्ठ निशान है । ताबाद नियमानुसार पत्रावली वास्ते अनुसंधान हेतु वृत्ताधिकारी वृत्त बालोतरा को प्रेषित की । चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है ।

जिरह में इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श पी. 03 दर्ज करवाई उस वक्त परिवादी ने अपना जाति प्रमाण–पत्र साथ में नहीं दिया था । इस कथन का सही बताया कि एफआईआर प्रदर्श पी. 06 उसके द्वारा दर्ज होने के दूसरे दिन न्यायालय में भेजी थी । इस देरी का कोई विशिष्ट कारण नहीं था ।

29. गवाह पी.ड. 10 राजेश कुमार माथुर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.02.2016 को वह सीओ बालोतरा के पद पर कार्यरत था । उस रोज प्रकरण संख्या 56/2016 अंतर्गत धारा 341, 323 भादंसं व 3(i)(x) एएसी/एसटी एक्ट पीएस बालोतरा की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई, जिस पर दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहन सुरेश कुमार, मेहबूब खाँ, प्रतापराम, कूंपाराम, धनाराम, तेजाराम, हुकमाराम, गडुपाराम के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये गये । चश्मदीद गवाह धन्नाराम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 04 मुर्तिब किया, जिस पर ए से बी उसके व शेष

मौतबीरान के हस्ताक्षर है । रूपाराम का मेडिकल मुआयना करवाकर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 01 व एक्सरे रिपोर्ट शामिल पत्रावली की । कूंपाराम के बेड टिकट की छायाप्रति शामिल पत्रावली की । संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त रणवीरसिंह के विरुद्ध जुर्म धारा 341, 323, 325 भादंसं व 3(i)(x) एससी/एसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जने पर अभियुक्त के विरुद्ध एसपी साहब से चालानी आदेश प्राप्त कर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु पीएस बालोतरा को प्रेषित की ।

जिरह में इस तथ्य को सही बताया कि उसने रणवीरसिंह से पूछताछ की थी । रणवीरसिंह ने पूछताछ में बताया था कि कूंपाराम उसकी खान से पत्थर चोरी करके भागते समय स्वयं पत्थर पर नीचे गिर गया था, जिससे उसके हाथों–पैरों पर चोटें लगी थी, अजखुद कहा कि उसके अनुसंधान से यह तथ्य सही नहीं पाया गया था । इस तथ्य को सही बताया कि प्रदर्श पी. 03 में किन जातिगत अपशब्दों से अपमानित किया गया था, यह नहीं बताया हुआ है । इस तथ्य को सही बताया कि पत्रावली पर एक्सरे प्लेट उपलब्ध नहीं है । इस तथ्य को सही बताया कि प्रदर्श पी. 02 में रेडियोलॉजिस्ट की राय अंकित नहीं है । इस तथ्य को सही बताया कि मजरूब का मेडिकल मुआयना पुलिस तहरीर पर नहीं हुआ था । इस तथ्य को सही बताया कि प्रदर्श पी. 04 में एक्स स्थान पर तारीख के स्थान पर कांटछांट की हुई है, जिस पर उसके लघु हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।

30. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र विवेचन एवं विश्लेषण से यह तथ्य साबित नहीं है कि अभियुक्त ने परिवादी को जातिसूचक क्या शब्द कहकर गालियाँ दी । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 में अभियुक्त द्वारा जातिसूचक गालियाँ दिये जाने हेतु क्या शब्द उच्चारित किये गये यह लिखा हुआ नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताये गवाह पी.ड. 07 प्रतापराम, पी.ड. 08 मेहबूब खाँ व पी.ड. 12 हुकमाराम पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने उनके सामने कोई घटना घटित होना कथन नहीं किया है । गवाह पी.ड. 04 धन्नाराम ने भी अभियुक्त ने क्या गालियाँ निकाली उसे पता नहीं होना तथा उसने तो केवल रड़े सुनने एवं रड़े सुनने के पश्चात् 5 मिनट बाद मौके पर पहुँचना जिरह में स्वीकार किया है । गवाह पी.ड. 11 गडूकाराम भी पक्षद्रोही हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है । परिवादी पी.ड. 02 कुंभाराम ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी. 03 में जातिगत गालियाँ निकालकर अपमानित करने की बात लिखी हुई नहीं है । परिवादी पी.ड. 02 कुंभाराम ने

उसके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों प्रदर्श डी. 01 में कीड़ा, नीच व कमीण की जातिगत गालियाँ देने एवं न्यायालय में हुए बयानों में नीच, कमीण व ढेढ़ की गालियाँ देना बताया है, परंतु परिवादी द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों प्रदर्श डी. 01 व न्यायालय में हुए बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथनों से अभिवृद्धि किया जाना पाया जाता है, जिससे गवाह के कथनों की विश्वसनीयता संदेहप्रद है । इसके अलावा परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य हो इस संबंध में भी अभियोजन की ओर से कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है ।

31. परिवादी/आहत पी.ड. 02 कुंभाराम की चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 01 में दो चोटें जिनमें से एक चोट बाएं पैर के घुटने पर सूजन व दर्द की शिकायत तथा चोट संख्या 2 दाहिनी कोहनी पर दर्द व सूजन होना बताया है । आहत के शरीर पर आई चोटों को साबित करवाये जाने के क्रम में परीक्षित करवाये गये गवाह पी.ड. 01 डॉ. मदनलाल खारवाल ने चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की होना जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 होना बताया है लेकिन एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 किस एक्सरे प्लेट/फिल्म के आधार पर जारी की गई थी, ऐसी कोई एक्सरे प्लेट/फिल्म अभियोजन की ओर से पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है । इसके अलावा आहत की चोट का एक्सरे किये जाने वाले रेडियोलॉजिस्ट को भी पेश कर आहत का एक्सरे किये जाने के तथ्य को साबित नहीं किया है तथा चोट संख्या 2 दर्द की शिकायत एवं सूजन होना बताया है, जो कोई जाहिरा चोट नहीं है । इस प्रकार चिकित्सक पी.ड. 01 डॉ. मदनलाल खारवाल के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से आहत के कोई गंभीर चोट होना साबित नहीं है ।

32. घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 07 प्रतापराम, पी.ड. 08 मेहबूब खाँ, पी.ड. 11 गडूकाराम व पी.ड. 12 हुकमाराम पक्षद्रोही हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है । आहत पी.ड. 02 कुंभाराम ने उसके दाहिने हाथ की कोहनी पर चोट आने बाबत् कोई कथन नहीं किये हैं । इस प्रकार आहत के साथ मारपीट किया जाना एवं मारपीट में साधारण व गंभीर चोट कारित किया जाना साक्ष्य से साबित नहीं पाया जाता है । आहत पी.ड. 02 कुंभाराम ने उसे जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध किये जाने बाबत् प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय में हुए बयानों में भी कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध सदोष अवरोध का आरोप भी संदेह से परे साबित नहीं है ।

33. पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य के समग्र विवेचन से मेरा निष्कर्ष है कि अभियोजन प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है जिससे अभियुक्त संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

–:: आदेश ::–

34. अतः अभियुक्त रणवीरसिंह पुत्र गणपतसिंह, उम्र 46 साल, निवासी असाड़ा, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भादंसं व 3(1)(r)(s) एससी/एसटी एक्ट में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण में जब्तसुदा माल, यदि कोई हो तो उसे बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे ।

35. धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् 25,000/– रुपये के जमानत मुचलके पेश किये जा चुके हैं ।

(एम.आर. सुथार)
(अतिरिक्त प्रभार)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बालोतरा ।

36. निर्णय व आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित सुनाया गया ।

MAHENDRA MEGHWAL
"Steno Gr. III" Authenticated Document
Digitally signed by MAHENDRA MEGHWAL
Location: Balotra
Date: 2026.07.09 16:41:14 +0530

(एम.आर. सुथार)
(अतिरिक्त प्रभार)
विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) बालोतरा ।